भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1807

उत्तर देने की तारीख : 28.11.2019

सूक्ष्म और लघु उद्योगों का संवर्धन

1807. श्री गोपाल जी ठाकुरः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मिथिला क्षेत्र बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का अक्सर सामना करता है और लोग बड़े शहरों में पलायन करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि इस क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को अधिक से अधिक बढ़ावा देकर पलायन की समस्या का काफी हद तक समाधान किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मिथिला क्षेत्र में भारी पलायन को रोकने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्योगों में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसे किस प्रकार किया जाएगा?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) से (घ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय देशभर में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के एमएसएमई को सहयोग प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करता है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई के संवर्धन की योजना, टूल रूम और प्रौद्योगिकी केंद्र, मिशन सौर चरखा (एमएससी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), खरीद एवं विपणन सहयोग योजना, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएलसीएस-टीयूएस) शामिल है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मिथिला क्षेत्र सहित देशभर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) कार्यान्वित करता है जो कि एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद कर गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है। इस योजना के द्वारा उद्यमियों को उनके अपने-अपने स्थानों पर रोजगार के अवसरों का पता लगाने के लिए सहायता दी जाती है जिससे कि वे पलायन को रोकने में मददगार हो सकें।

****